

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

रेफरेन्स संख्या
15/05/2009

रजिस्टर्ड नंबर
2009/00009

प्रवेश तिथि
06-09-2009

निर्णय दिनांक
30-05-2024

01-सरकार मंदिर श्री लालदास जी महाराज ग्राम शेरपुर तहसील रामगढ जिला अलवर जयें
तहसीलदार रामगढ जिला अलवर।

-प्रार्थी

बनाम

01- राधा स्त्री देशराज ब्राह्मण वगै०।

02- सल्लू पुत्र मोम्मदखा निवासी शेरपुर।

03- मजीद, बुद्धि, नूरा, इसराईल पिता जुहरा

04- कमरुदीन पुत्र कालूमेव निवासी शेरपुर तहसील रामगढ जिला अलवर (राज०)

-अप्रार्थीगण

रैफरेन्स प्रकरण अन्तर्गत धारा 82

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:-

1. श्री नरेश चौधरी

-वकील अप्रार्थी सं० 2



तहसीलदार रामगढ ने यह रेफरेन्स प्रकरण पेश कर निवेदन किया कि ग्राम शेरपुर तहसील रामगढ व जिला अलवर में जमाबन्दी सं० 1990 में आराजी खसरा नंबर 206/3.14, 207/1.19 बीघा के विशेष विवरण में बखिदमत मकान लालदास अंकित है। खाना नम्बर 05 में चन्दनदास चेला मलूकदास साद सा० टोडी माफी देन जमीदारा अंकित है। ख०न० के बन्दोबस्त स० 2020 में क्रमशः ख० न० 274/3.14, 275/1.19 बने है व बन्दोबस्त स० 2058 में क्रमशः 409/0.94, 445/0.49 हैक्ट सल्लू पुत्र मोहम्मदखा मेव की खातेदारी में व ख०न० 445/0.49 हैक्ट मजीद बुद्धि नूरा इसराईल पि. जुहरा हि.4/5 कमरुदीन पुत्र कालू हि.1/5 हैक्ट की खातेदारी में दर्ज हुए। इन खसरा नम्बरों में 445 व 409 का बेचान नामा० सं० 205 व 199 से राधा स्त्री देशराज ब्रा०सा० अतरघट्टा तह० पलवल जिला फरीदाबाद हरियाणा के नाम हुआ है। बन्दोबस्त स० 2020 में उक्त ख०न० 274, 275 मल्लडदास चेला गरीबदास साधू सा० कटोरडी खातेदार नाम दर्ज हुये है। नामा० सं० 09 निर्णय दिनांक 10.08.1970 मुताबिक निर्णय सहायक कलक्टर अलवर दिनांक 15.05.1968 मिसल नम्बर 1/33 के आधार पर उक्त भूमि ख०न० 274, 275 मल्लडदास के नाम से सल्लू पुत्र मोहम्मद खॉ मेव नाम आये है। छाया प्रति निर्णय माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर दिनांक 15.05.1968 के मुद्देई सल्लू पुत्र मोहम्मद खॉ मेव सा० शेरपुर ने धर्मदास चेला गरीबदास गाय टोरडी तहसील रामगढ से बहैसियत वारिस व काबिज जायदाद मल्लड चेला मरीबदास के इकबाल दावा पेश कराया है। जिसके आधार पर सल्लू के नाम निर्णय हुआ है व नामान्तरकरण दर्ज हुआ है। केश कबीरा फकीरा नगला भूरिया बनाम सल्लूदास साद की छाया प्रति जवाब दावा में सल्लूदास चेला धर्मदास साद का दिनांक 03.10.1955 में स्वयं को धर्मदास का चेला बताया है। व उसका नामा० स्वयं के नाम दर्ज करने की प्रार्थना की है। इस प्रकार धर्मदास की मृत्यु सन् 1955 से पूर्व बताई गई है। जबकि निर्णय सहायक कलक्टर महोदय अलवर में धर्मदास द्वारा इकबाल दावा पेश हुआ है। इससे स्पष्ट होता है। कि निर्णय माननीय सहायक कलक्टर अलवर दिनांक 15.05.1968 व माननीय न्यायालय मुनसिफी डीग में पेश जवाब दावों में धर्मदास की मृत्यु की तिथियों में भिन्नता है। यदि मृत्यु 1955 में हो चुकी थी, इकबाल दावा जो 1968 में दिया गया है। वह गलत व उससे सम्बन्धित निर्णय पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। सम्मत 1990 की जमाबन्दी में माफी देन जमीदारा व बखिदमत मकान लालदास का अंकन इसे मन्दिर की भूमि होना बताता है। चूँकि मन्दिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग होती है, जिसकी जमीन पर किसी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है।

राधा स्त्री देशराज ब्रा0 के नाम दर्ज होना कानून के खिलाफ है। अतः उक्त सन्दर्भित आराजी को वापिस मन्दिर मुर्ति के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश फरमावे।

विद्वान वकील प्रार्थी नम्बर 01 ने निवेदन किया है कि संवत् 1990 मे जो जमाबन्दी प्रार्थना-पत्र के साथ पेश की गई है। उसमें ख0 न0 202 नही है। बल्कि 222 है। जो जमाबन्दी के अनुसार दुरुस्त कराया जिससे उसका जवाब दिया जा सके। शेष भाग सही है। यह जमीन लालदास के स्थान पर बने हुये मकानो के देखभाल व सुरक्षा करने वालो को उनकी खिदमत करने के एवज में गुजारा करने के लिए दी गई थी। लालदास मंदिर को कोई जमीन नही दी गई। जेसा कि जमाबन्दी सं0.1990 मे अंकन है। दर्ज फौसले की प्रति उपलब्ध कराई जिससे चरण से वर्णित तथ्यों का जवाब दिया जा सके। जो दस्तावेज पेश किये गये है। उनसे यह प्रकट नही होता है। कि घमदास 03.10.55 को जीवित नही था। व मर गया था। सल्लूदास को केवल धर्मदास का चेला बताया गया है। धर्मदास के जीवित रहते भी चेला बन जाता है। इसलिये चरण में दर्ज तथ्य गलत है। सहायक जिलाधीश के यहां जो इकबाल दावा पेश किया है उससे प्रकट होता है। कि इकबाल दावा पेश करते समय धर्मदास जिन्दा था। माननीय न्यायालय मुसिसफ डीग में दस्तावेज जो पेश किये गये है। जिससे प्रकट नही होता है। कि धर्मदास मर गया था। उसमें तो केवल सल्लू चेला धर्मदास अंकित हे। सं0 1990 की जमाबन्दी मे जो इन्द्राज है माफी देन जमीदार बखिदमत मकान लालदास का इन्द्राज यह प्रकट नही करता कि जमीन लालदास मंदिर को दी गई। बल्कि यह प्रकट की गई है। कि लालदास के स्थान पर बने हुये मकानात की देखभाल व सुरक्षा करने के लिए सल्लू वैग0 जो सेवा कर रहे थे। उस खिदमत की एवज में उनको गुजारा करने के लिये जमीन दी गई। चरण में यह लिखना कि यह जमीन मंदिर लालदास की है ओर इस कारण उसमे सल्लू जो खिदमतगार था उसको कोई अधिकार नही है। गलत है सेवा के बदले ग्राट दी गई थी। जो सल्लू करता था। क्योंकि सल्लू मकानात व खिदमत देखभाल व सुरक्षा करता था उसको स्वयं को गुजारा के लिये जमीदारों ने संवादारों के लिये माफी दी थी, मन्दिर के लिये नही दी थी। इसलिये राजस्व रेकार्ड में जो इन्द्राज हो रहा है। वह सही हो रहा है कानून के खिलाफ नही है। जिस जमीन पर लालदास की कोई मुर्ति स्थापित नही है। संदर्भित आराजी को वापिस मन्दिर मुर्ति के नाम राजस्व रेकार्ड दुरुस्त किया जाना गलत है। क्योंकि मुर्ति मन्दिर के नाम किसी जमीन नही थी। बल्कि खिदमत के आधार पर जमीन सल्लू को दी गई थी। अतः जवाब रेफरेंस पेश कर निदवेदन है कि प्रार्थना-पत्र रेफरेंस मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व वही पर मन्जूर किया। जमाबन्दी संवत् 1990 में विवादित आराजी बखिदमत मकान लालदास अंकित व दर्ज है। पत्रावली में संलग्न रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। मुताबिक रिकॉर्ड ख0न0 के बन्दोबस्त सं0 2020 में क्रमशः ख0 न0 274/3.14, 275/1.19 बने है व बन्दोबस्त सं0 2058 में क्रमशः 409/0.94 हैक्ट सल्लू पुत्र मोहम्मदखा मेव की खातेदारी में व ख0न0 445/0.49 हैक्ट मजीद बुद्धि नूरा इसराईल पि. जुहरा हि.4/5 कमरुदीन पुत्र कालू हि.1/5 हैक्ट की खातेदारी में दर्ज हुये। इन खसरा नम्बरों में 445 व 409 का बेचान नामा0 सं0 205 व 199 से राधा स्त्री देशराज ब्रा0सा0 अतरचट्टा तह0 पलवल जिला फरीदाबाद हरियाणा के नाम हुआ है जबकि पूर्व में बखिदमत मकान लालदास अंकित थी। बन्दोबस्त सं0 2020 में क्रमशः ख0 न0 274/3.14, 275/1.19 पर सहायक कलक्टर अलवर के निर्णय दिनांक 15.05.1968 के आधार पर भूमि को मल्लडदास के नाम से सल्लू पुत्र मोहम्मदखां मेव के नाम दर्ज कर दी गयी। न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर द्वारा पेश इकबाल दावा के आधार पर निर्णय सल्लू के पक्ष में जारी किया गया व नामान्तरकरण भी दर्ज हुआ। किन्तु मूर्ति नाबालिग शाश्वत होने के कारण उसकी भूमि पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। अप्रार्थी जवाब में अंकित तथ्यों के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य/सबूत पेश नही किये गये है। सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ़ द्वारा पेश रैफरेंस प्रा0पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रा0पत्र रैफरेंस स्वीकार किया जाकर जमाबन्दी संवत् 2058 में वर्णित विवादित आराजी खसरा नम्बर 409/0.94, 445/0.49 हैक्ट0 कुल किता 02 वाके ग्राम शेरपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 से अप्रार्थी का नाम कलमजन किया जाकर माफी मंदिर श्री लालदास जी महाराज ग्राम शेरपुर तहसील रामगढ़ के नाम दर्ज करने की अभिशंषा के साथ माननीय निबंधक, राजस्व मण्डल राज0 अजमेर को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)